भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 648**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि उत्पादों का निर्यात/आयात

648. श्री भर्तृहरि महताबः

श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात पर समय–समय पर प्रतिबंध लगाने/हटाने के लिए कोई मानदंड अपनाए/अंगीकृत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात पर ऐसे प्रतिबंध लगाने/ हटाने के किसानों/ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का कृषि उत्पादों का दीर्घकालिक सतत् और अनुमानित निर्यात/आयात तैयार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(च) विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात पर प्रतिबंध लगाने/हटाने के प्रतिकूल प्रभाव से किसानों/ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) कृषि उत्पादों के लिए आयात-निर्यात नीति, जिसमें अलग-अलग उत्पादों के निर्यात / आयात पर प्रतिबंध हटाने/लगाने का निर्णय करते समय, घरेलू आवश्यकताओं की तुलना में (बफर स्टॉक तथा कार्यनीतिक रिजर्व की आवश्यकता, यदि कोई हो,सहित),अधिशेष की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा की चिंताओं, राजनयिक/मानवतादी विचार, अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति की स्थिति , कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता, उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतों और आम आदमी को वहनीय कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। विगत तीन वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध, जो कि हाल ही में दिनांक 29 सितंबर,2019 की अधिरोपित किया गया है, के अलावा किसी भी प्रमुख कृषि उत्पाद के निर्यात/आयात पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया गया है । इसलिए इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ) से (च): दिसंबर,2018 में सरकार द्वारा प्रकाशित की गई, कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर व्यापार नीति बनाना है जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

i) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और सभी प्रकार के जैविक उत्पादों को किसी भी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध (अर्थात न्यूनतम निर्यात कीमत, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा, निर्यात

कैपिंग, निर्यात परमिट आदि) के दायरे में नहीं लाया जाएगा, भले ही प्राथमिक कृषि उत्पाद या गैर-जैविक कृषि उत्पाद को कुछ प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों के अंतर्गत लाया जाता है।

ii) संगत हितधारकों और मंत्रालयों के साथ परामर्श करके उन पण्यों की पहचान करना जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं । चरम कीमत होने की स्थिति में इन अभिज्ञात वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध उच्च स्तरीय समिति के निर्णय पर आधारित होगा। साथ ही, उपर्युक्त अभिज्ञात वस्तुओं पर किसी प्रकार का निर्यात निषेध और प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ के संगत तरीके से लगाया जाएगा।

नीति की मंजूरी के परिणामस्वरूप, ''अनिवार्य वस्तुओं'' पर सचिवों की समिति के अधिदेश का विस्तार किया गया है ताकि कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर, केवल चरम कीमत की स्थिति में, प्रतिबंध लगाया जा सके जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं ।

*****